जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सुविधा हो।

ग्राम : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801 (कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail : jureg_gwl@rediffmail.com
Website : http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2011/ 4015 दिनांक : 12.11.11

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 16 अगस्त, 2011 के पद क्रमांक (31) के निर्णयानुसार **वंदेमातरम् नर्सिंग महाविद्यालय, ग्वालियर** को **सत्र 2010-11** के लिये प्रस्तावित/संचालित **बी.एस-सी. नर्सिंग द्वितीय वर्ष पाठ्यक्रम** के लिये अस्थाई सम्बद्धता निम्न शर्तो के साथ प्रदान की जाती हैं।

शर्तें/प्रतिबंध :-

1. महाविद्यालय का भवन का निर्माण कार्य अगले सत्र से पहले पूरा कर लिया जावे एवं महाविद्यालय को स्वयं के भवन में स्थानान्तरित किया जावे।
2. प्राचार्य एवं नर्सिंग शिक्षकों की नियुक्तियां 28(17) के अन्तर्गत की जावे।
3. समस्त शिक्षकों को भुगतान चैक के माध्यम से किया जावे।
4. नर्सिंग विषय से संबंधित 25000/- की पुस्तकें क्रय की जावें।
5. 28(17) का पालन किया जावे।

आदेशानुसार
कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, **वंदेमातरम् नर्सिंग महाविद्यालय, ग्वालियर**,
2. **सचिव, इण्डियन नर्सिंग कौंसिल, टैम्पल लैन, कोटला मार्ग, नई दिल्ली**
3. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
5. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहा.-कुलसचिव (सम्बद्धता)

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सुविधा हो।

ग्राम : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर
क्रमांकःएफ/सम्बद्धता/2009/ 4259

दिनांकः 21/12/11

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध **वन्दे मातरम् कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ग्वालियर (0751-4065818) को सत्र 2009-10** के लिये प्रस्तावित/संचालित **पोस्ट बैसिक बी.एस-सी. नर्सिंग प्रथम वर्ष एवं सत्र 2010-11 बैसिक बी. एस-सी. नर्सिंग द्वितीय वर्ष पाठ्यक्रम** कक्षा/पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुशंसाऐं प्रदान करने के लिये माननीय कुलपति महोदय/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिनियम 27(10) के अन्तर्गत निम्नानुसार निरीक्षण समिति का गठन किया है :-

(1) प्रो. एस.के. शुक्ला, विभागाध्यक्ष, अर्थशास्त्र अध्ययनशाला, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर। **(संयोजक)**
(0751-2442633)
(2) प्रो. बाई.के. जैसवाल, आचार्य, जैव रसायन अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर।
(3) डॉ. सत्यम सिंह जयन्त, आचार्य, जी.आर.एम.सी., ग्वालियर।
(4) श्रीमती ज्योति मोहिते, आचार्य, जी.आर.एम.सी., ग्वालियर।

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिनियम 27/28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर शुल्क, धरोहर राशि, वांछित शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुमति/अनापत्ति प्रमाण-पत्र, भवन, क्रीड़ा परिसर एवं पाठ्यक्रम/आर्डिनेन्स तथा पिछले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति मय प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ की नियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुशंसाऐं अंकित करें। **महाविद्यालय प्राचार्य/अध्यक्ष सूचना पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस के अन्दर निरीक्षण समिति संयोजक एवं सदस्यों से सम्पर्क स्थापित कर निरीक्षण करायें। समिति संयोजक से निवेदन है कि वे उक्त निर्धारित समय में निरीक्षण करें एवं प्रतिवेदन 07 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में जमा करें। निरीक्षण प्रतिवेदन जमा करने का उत्तरदायित्व निरीक्षण समिति / संयोजक का होगा।**

समिति गठन का पत्र प्राप्त होने के बाद निरीक्षण में की गई देरी के लिए महाविद्यालय स्वयं उत्तरदायी होगा। जिसकी सूचना आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोपाल को भेज दी जावेगी। यदि महाविद्यालय 03 माह में निरीक्षण नहीं कराता है तो समिति स्वतः निरस्त हो जावेगी और पुनः निरीक्षण समिति गठन हेतु महाविद्यालय को दण्ड स्वरूप रू. 25,000/- जमा करने होंगे। तत्पश्चात् ही निरीक्षण समिति का पुर्नगठन किया जायेगा। परिनियम 27(11)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए बिना छात्रों को प्रवेश देना अवैधानिक है।

निरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शाखा में कार्यरत अधीक्षक / कार्यालय सहायक पत्रावली लेकर जायेंगे तथा महाविद्यालय की वस्तुस्थिति से निरीक्षण समिति को अवगत करावेंगे। निरीक्षण समिति के सदस्यों को टी.ए. / डी.ए. / मानदेय महाविद्यालय द्वारा देय होगा।

कुलसचिव

प्रतिलिपि :-
1. समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण दिनांक निर्धारित कर महाविद्यालय का निरीक्षण करावें। उक्त निरीक्षण 15 दिवस के अन्दर कराने की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल
4. कुलाधिसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
5. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सुविधा हो।

ग्राम : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801 (कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail : jureg_gwl@rediffmail.com
Website : http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2012/ 1875

दिनांक : 11/5/12

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 22 मार्च 2012 के पद क्रमांक (13) के निर्णयानुसार वन्दे मातरम् कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ग्वालियर को सत्र 2009-10 के लिये प्रस्तावित/संचालित पोस्ट बेसिक बी.एस-सी. नर्सिंग प्रथम वर्ष एवं सत्र 2010-11 पोस्ट बेसिक बी.एस-सी. नर्सिंग द्वितीय वर्ष पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती हैं।

शर्तें/प्रतिबंध :-

महाविद्यालय का निरीक्षण आज दिनांक 04.01.2012 को सांय 3:00 बजे महाविद्यालय द्वारा संचालित पोस्ट बेसिक बी.एस-सी. नर्सिंग पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष 2009-10 एवं द्वितीय वर्ष 2010-11 को अस्थायी सम्बद्धता प्रदान करने हेतु किया गया। पोस्ट बेसिक बी.एस-सी. नर्सिंग पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष सत्र 2009-10 की परीक्षायें माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार विश्वविद्यालय द्वारा सम्पन्न कराई जा चुकी है। महाविद्यालय में सत्र 2009-10 एवं 2010-11 में कार्यरत अधिकतर कर्मचारी शैक्षणिक एवं गैरशैक्षणिक वर्तमान में कार्यरत नहीं है। महाविद्यालय में विभिन्न पदों पर नियुक्तियाँ अभी भी कॉलेज कोड 28(17) के अन्तर्गत नहीं की गई है। महाविद्यालय की विभिन्न प्रयोगशालायें एवं पुस्तकालय को अभी भी नय उचित साधनों से सुसज्जित नहीं किया गया है।

इन परिस्थितियों में छात्र हित को ध्यान में रखते हुये यह समिति महाविद्यालय द्वारा संचालित पोस्ट बेसिक बी. एस-सी. नर्सिंग पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष सत्र 2009-10 एवं द्वितीय वर्ष सत्र 2010-11 को अस्थायी सम्बद्धता निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करने की अनुशंसा करती है।

1. भवन की लीज डीड एग्रीमेण्ट वन्देमातरम् नर्सिंग महाविद्यालय के नाम अविलम्ब स्थानान्तरित कराई जावे।
2. महाविद्यालय को नवीन सत्र से स्वयं के भवन में संचालित किया जावे।
3. महाविद्यालय प्राचार्य, शिक्षकों पुस्तकालयाध्यक्ष, क्रीड़ा अधिकारी एवं अन्य की नियुक्तियाँ 28(17) के अन्तर्गत शीघ्र अति शीघ्र कराना सुनिश्चित करें।
4. महाविद्यालय समस्त शैक्षणिक, तकनीकी एवं गैर तकनीकी कर्मचारियों का भुगतान बैंक एकाउन्ट के माध्यम से करना सुनिश्चित करें।
5. महाविद्यालय पुस्तकालय में विषय संबंधित 500 टाइटल्स पुस्तकें एवं 10 जर्नल क्रय करना सुनिश्चित करें।
6. महाविद्यालय विभिन्न प्रयोगशालाओं को नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया के मानकों के अनुसार सुसज्जित करें।
7. महाविद्यालय स्वयं का खेलकूद का मैदान विकसित करें तथा कम से कम दो लाख रु. की क्रीड़ा सामग्री क्रय करें।
8. महाविद्यालय में कॉलेज कोड 27-28 का पालन किया जावे।

आदेशानुसार
(हस्ताक्षर)
कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, वन्दे मातरम् कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ग्वालियर
2. सचिव, इण्डियन नर्सिंग कौंसिल, टैम्पल लैन, कोटला मार्ग, नई दिल्ली
3. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
5. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(हस्ताक्षर)
उपकुलसचिव (सम्बद्धता)

E:\Yogi\2012\Adhisoochna.doc

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सुविधा हो।

ग्राम : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक:एफ/सम्बद्धता/2009/ 5148

दिनांक: 28/7/11

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध **वंदे मातरम् नर्सिंग महाविद्यालय, ग्वालियर (0751-4065818) को सत्र 2011-12** के लिये प्रस्तावित/संचालित **बी.एस-सी. नर्सिंग तृतीय वर्ष, पाठ्यक्रम** कक्षा/पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुशंसाऐं प्रदान करने के लिये माननीय कुलपति महोद् य/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिनियम 27(10) के अन्तर्गत निम्नानुसार निरीक्षण समिति का गठन किया है :-

(1) प्रो. डी.एन. गोस्वामी, आचार्य, कम्प्यूटर साइंस अध्ययनशाला, जी.वि.वि. ग्वालियर। **(संयोजक)**
(0751-2442841)
(2) डॉ. अजीत सिंह राजपूत, आचार्य, जी.आर.एम.सी. ग्वालियर।
(3) डॉ. अजय पाल सिंह, आचार्य, जी.आर.एम.सी. कॉलेज, ग्वालियर।

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिनियम 27/28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर शुल्क, धरोहर राशि, वांछित शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुमति/अनापत्ति प्रमाण-पत्र, भवन, क्रीड़ा परिसर एवं पाठ्यक्रम/आर्डिनेन्स तथा पिछले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति मय प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ की नियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुशंसाऐं अंकित करें।

स्थायी समिति एवं कार्यपरिषद् के निर्णयानुसार वर्ष 2012-13 के सभी सम्बद्धता प्रकरण 30 जून, 2012 के पूर्व ही स्थायी समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जाने हैं। अतः समस्त समितियों के संयोजकों एवं महाविद्यालयों के प्राचार्यों / संस्था के अध्यक्षों / सचिवों का यह उत्तरदायित्व है कि वे अपने महाविद्यालयों का निरीक्षण निर्धारित अवधि से पूर्व ही अत्यावश्यक रूप से सम्पन्न करा लेवें। यदि कोई भी महाविद्यालय निरीक्षण हेतु तिथि के निर्धारण के लिए इस अधिसूचना जारी होने के एम माह तक संयोजक से सम्पर्क नहीं करता है तो संबंधित संयोजक स्वयं समिति के सदस्यों के साथ किसी भी दिन सम्बन्धित महाविद्यालय का निरीक्षण कर अपना प्रतिवेदन विश्वविद्यालय कार्यालय को आवश्यक रूप से जमा कर सकते हैं।

वर्ष 2012-13 के लिए सम्बद्धता सम्बन्धी किसी भी प्रकरण में 30 जून, 2012 के पश्चात् किसी भी समिति का प्रतिवेदन स्वीकार नहीं किया जा सकेगा। ना ही महाविद्यालयों के लिए पुनः समितियों के गठन सम्बन्धी आवेदन पत्रों को स्वीकार किया जा सकेगा।

निरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शाखा में कार्यरत अधीक्षक / कार्यालय सहायक पत्रावली लेकर जायेंगे तथा महाविद्यालय की वस्तुस्थिति से निरीक्षण समिति को अवगत करावेंगे। निरीक्षण समिति के सदस्यों को टी.ए. / डी.ए. / मानदेय महाविद्यालय द्वारा देय होगा।

कुलसचिव

प्रतिलिपि :-
1. समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण दिनांक निर्धारित कर महाविद्यालय का निरीक्षण करावें। उक्त निरीक्षण 15 दिवस के अन्दर कराने की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल
4. कुलाधिसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
5. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

उप. कुलसचिव (सम्बद्धता)